न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम,अम्बेडकरनगर।
उपस्थितः— श्री राम विलास सिंह (एच.जे.एस)

UPAN010030622023

Criminal Revision/165/2023

1. उदयराज वर्मा आयु लगभग—49 वर्ष पुत्र रामकेदार वर्मा
2. सूबेदार वर्मा आयु लगभग—44 वर्ष पुत्र रामकेदार वर्मा
3. रामप्रसाद वर्मा आयु लगभग—59 वर्ष पुत्र बाल गोविन्द
4. वेदप्रकाश वर्मा आयु लगभग—32 वर्ष पुत्र राजकुमार
5. निखिल वर्मा आयु लगभग—26 वर्ष पुत्र राजकुमार
6. राजेश वर्मा आयु लगभग—47 वर्ष पुत्र संतराम वर्मा
7. राममगन निषाद आयु लगभग—39 वर्ष पुत्र सन्तराम निषाद
8. जैकरन निषाद आयु लगभग—56 वर्ष पुत्र जगदेव निषाद

समस्त निवासीगण ग्राम—समसपुर अव्वल,थाना—बेवाना,जिला अम्बेडकरनगर।

.....प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट,अम्बेडकरनगर।
2. रवीन्द्र कुमार आयु लगभग—33 वर्ष पुत्र रामजगत निवासी ग्राम—समसपुर अव्वल, थाना—बेवाना,जिला अम्बेडकरनगर।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. वर्तमान फौजदारी पुनरीक्षण अंतर्गत धारा—397 दं0प्र0सं0 परिवाद संख्या—2149/2021 रवीन्द्र कुमार बनाम राजेश वर्मा आदि के मामले में द्वितीय अपर सिविल जज जू.डि./न्यायिक मजिस्ट्रेट,.अम्बेडकरनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2. प्रार्थी रवीन्द्र कुमार द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा—156—3 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में अभिकथित कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी थी।

3. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत किया गया और उसके उपरांत प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित करते हुए दिनांक 27.10.2021 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा—156—3 द.प्र.सं.को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया। परिवादी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष स्वंय को धारा—200 द.प्र. सं. के तहत एवं धारा—202 द.प्र.सं. के तहत पी.डब्लू.1 रामजगत व पी.डब्लू.2 राजदेई को परीक्षित कराया गया और तलबी बहस सुनकर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विपक्षीगण राजेश वर्मा,उदयराज वर्मा,सूबेदार वर्मा,रामप्रसाद वर्मा,वेदप्रकाश वर्मा,निखिल वर्मा, राममगन निषाद व जैकरन निषाद को धारा—323,452,427,504 भा.द.सं. में विचारण हेतु तलब करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

4. दाण्डिक पुनरीक्षण में कथन किया गया कि विपक्षी संख्या—2 रवीन्द्र कुमार ने अवर न्यायालय के समक्ष धारा—156(3) जा.फौ. का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो अवर न्यायालय द्वारा परिवाद में दर्ज कर दिया गया। इसमें कथन किया गया कि विपक्षी संख्या 2 एक मोबाइल की दुकान गॉव के बगल कुर्चा में करता है। दिनांक—7—10—2019 ई0 को शाम 7:50 बजे दुकान बन्द करके अपने गांव में बद्री प्रसाद कन्नौजिया के यहां दुर्गा पूजा के भण्डारे में निमंत्रण खाने हेतु गया। वहां पर पहले से मौजूद निगरानीकर्तागण जो विपक्षी सं0—2 के गांव के है पहले से घात लगाये बैठे थे लाठी, डण्डो व लात, घूसो से विपक्षी सं0—2 को मारा पीटा जिससे उसके

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.06.19 15:40:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिर में काफी चोटे आयी, तथा हाथ व पैर में चोट आयी तथा नाक से खून गिरने लगा और मौके पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हल्ला गोहार पर गांव के तमाम लोग आये और बीच बचाव किया। निगरानीकर्तागण मां, बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। विपक्षी सं0–2 को जब होश आया तो वह अपने घर गया निगरानीकर्तागण इतने मनबढ व सरकश किस्म के व्यक्ति है कि वे विपक्षी सं0–2 को मारने की नियत से पुनः उसके घर में घुस कर मारे पीटे तथा मौके पर वर्तन आदि तोड़ डाले निगरानीकर्ता सं0–1 ने 500/– रू० छीन लिया। जाते समय जान से मारने की धमकी दे रहे थे। डर बस उस दिन थाने नही जा सका दूसरे दिन थाने गया तो दरोगा ने कहां जांच करके मुकदमा किया जायेगा और हीला हवाली करते है और विपक्षी सं०–2 की न रिपोर्ट लिखे न उसकी डाक्टरी ही कराये तब विवश होकर पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बेडकर नगर को रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया वहां से भी कोई कार्यवाही न होने पर अवर न्यायालय के समक्ष धारा 156 (3) जा०फौ० के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र दिया जिसको अवर न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर दिया गया। अवर न्यायालय ने परिवादीध विपक्षी सं02 रवीन्द्र कुमार का बयान अन्तर्गत धारा 200 सी०आर०पी०सी० और गवाह राजदेई व राम जगत का बयान अन्तर्गत धारा 202 जा०फौ० अंकित करने के बाद निगरानी कर्तागण के विरूद्व दिनांक 23.5. 2023 ई0 को धारा–323, 427, 452, 504, आई०पी०सी० में विचारण हेतु बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का आदेश पारित किया जिससे क्षुब्ध होकर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

<u>आधार निगरानी</u>

विद्वान अवर न्यायालय ने तलबी आदेश दिनांक 23.05.2023 सरसरी तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया है जो विधि विरूद्ध सरासर गलत है। विद्वान अवर न्यायालय ने तलबी आदेश दिनांक 23.05.2023 पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किये बिना कल्पना के आधार पर पारित किया है जो सरासर गलत है। विद्वान अवर न्यायालय ने विवादित तलबी आदेश पारित करते समय विधिक प्राविधानो का पालन न करके महान भूल किया है। विपक्षी सं0–2 ने 8 लोगो द्वारा दो स्थानो पर मारना पीटना कहा गया है तथा बेहोश होना बताया है लेकिन एक भी मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है जिस पर अवर न्यायालय ने ध्यान नही दिया। निगरानीकर्ता सं0–1 उदयराज ने विपक्षी सं0–2 रवीन्द्र निषाद तथा राम जगत निषाद, इन्द्रजीत, सतेन्द्र, महेन्द्र, हौसिला एवं मनोज के विरूद्ध मु०अ०सं०–101/19 धारा 147, 148, 323, 324, 504, आई०पी०सी० में दर्ज कराया है जिसमें निगरानीकर्ता सं0–1 के सिर एव पूरे शरीर में गम्भीर चोटे आयी है इसी मुकदमें कीं पेशबन्दी में विपक्षी सं02 द्वारा मुकदमा कायम कराया इस पर भी अवर न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया उक्त साक्ष्य पत्रावली पर धारा 156 (3) जा०फौ० की रिपोर्ट में आया है। निगरानीकर्ता सं06 राजेश वर्मा ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि थे उनके द्वारा रास्ते का निर्माण कराया जा रहा था उसी रास्ते पर विपक्षी सं0–2 ने अतिक्रमण किया था जिसको हटाने के लिये कहा था परन्तु विपक्षी सं02 के इन्कार करने पर निगरानीकर्ता सं06 द्वारा मजदूरो द्वारा अतिक्रमण हटवा कर रास्ते का निर्माण कराया था उसी रंजिश के कारण निगरानी कर्ता सं06 को फंसाया है। परिवादी साक्षीगण का पुत्र है जिससे हितबद्ध साक्षी है। परिवादपत्र बयान परिवादी एवं धारा 202सी०आर०पी० सी० के साक्षीगण के बयान में काफी विरोधाभाष है। विद्वान अवर न्यायालय ने विवादित तलबी आदेश दिंनाक–23.5.2023ई0 पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के तात्विक विरोधाभाष को नजर अन्दाज कर महान भूल किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार होने योग्य है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि अवर न्यायालय की पत्रावली तलब कर, निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार कर, तलबी आदेश दिनांक–23.5.2023 ई0 को निरस्त करने की कृपा करें।

5. विपक्षी संख्या–2 रवीन्द्र कुमार न्यायालय उपस्थित आये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं विपक्षी संख्या–2 रवीन्द्र कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानीकर्ता के कथनों का विरोध किया गया तथा यह कथन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्तागण द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर निगरानी दाखिल किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

6. निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

7. पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि– ''प्रार्थी दिनांक 07.10.2019 को समय करीब 7:50 बजे दुकान बन्द करके अपने गांव में बद्री प्रसाद कनौजिया के यहां दुर्गापूजा के भण्डारे में निमंत्रण पर खाने हेतु गया था वहां पर पहले से मौजूद विपक्षीगण राजेश वर्मा पुत्र संतराम वर्मा, उदयराज, सूबेदार, रामप्रसाद वर्मा, वेदप्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, राममगन निषाद, जैकरन निषाद पहले से वहां पर घात लगाये बैठे थे। विपक्षीगण ने लाठी, डण्डा, लात, घूसा से प्रार्थी को मारा पीटा जिससे उसके सिर में काफी चोटें आयी तथा हाथ पैर में चोट आयी तथा नाक से खून गिरने लगा जिससे प्रार्थी मौके पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पडा। प्रार्थी के हल्ला गोहार पर गांव के तमाम लोग आ गये तथा बीच बचाव किये। विपक्षीगण मां बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। जब प्रार्थी को होश आया तो वह अपने घर गया। वे लोग प्रार्थी को मारने की नियत से पुनः उसके घर में घुसकर मारे पीटे तथा मौके पर बर्तन आदि तोड डाले तथा प्रार्थी के जेब से उदयराज ने मु0–500/– रूपया छीन लिया। प्रार्थी दूसरे दिन घटना की सूचना थाने पर दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने दिनांक 16.10.2019 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अम्बेडकरनगर को जरिये रजिस्ट्री घटना की सूचना दी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। ''

परिवादी द्वारा अपने परिवाद कथानक के समर्थन में स्वंय को धारा–200 द.प्र.सं. व 202 द.प्र.सं. के तहत पी.डब्लू.1 रामजगत व पी.डब्लू.2 राजदेई को परीक्षित कराया और उसके उपरांत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तलबी बहस सुनकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.05.2023 पारित करते हुए विपक्षीगण को धारा–323,452,427,504 भा.द.सं. में तलब किया गया।

परिवादी द्वारा अपने बयान धारा–200 द.प्र.सं. में यह कथन किया गया है कि–''घटना दिनांक 07.10.2019 की है। समय 7.50 रात की घटना है। राजेश वर्मा,उदयराज वर्मा,सूबेदार वर्मा,रामप्रसाद वर्मा,वेदप्रकाश वर्मा,निखिल वर्मा, राममगन निषाद व जैकरन निषाद मुझे दुकान से जाते समय रास्ते में मुझे मारे पीटे गाली दिये। मेरी जेब से उदयराज वर्मा 500/–रूपया निकाल लिए। मेरी मोबाइल की दुकान है। उदयराज मुझे मोबाइल बनाने को दिये थे। उसी को लेकर पैसे के लेन देन को लेकर हमारे बीच विवाद हो गया था। इसी रंजिश में उक्त लोगों ने मेरे साथ मार पीट की। कुछ देर बाद ये लोग मेरे घर भी पहुॅच गये। घर पर तोडफोड किये और गाली देने लगे। घर में घुसकर फिर मुझे मारे।.....मारपीट में मुझे भी चोट आयी थी और मेरे पिता को भी चोट आयी थी।'' इसप्रकार परिवादी द्वारा जहॉ अपने परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि **जब वह अपने गांव में बद्री प्रसाद कनौजिया के यहां दुर्गापूजा के भण्डारे में निमंत्रण पर खाने हेतु गया था वहां पर पहले से** मौजूद विपक्षीगण राजेश वर्मा पुत्र संतराम वर्मा, उदयराज, सूबेदार, रामप्रसाद वर्मा, वेदप्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, राममगन निषाद, जैकरन निषाद पहले से वहां पर घात लगाये बैठे थे। विपक्षीगण ने लाठी, डण्डा, लात, घूसा से प्रार्थी को मारा पीटा जिससे उसके सिर में काफी चोटें आयी। इसके विपरीत अपने बयान धारा–200 द.प्र.सं. में परिवादी ने यह कथन किया है कि– राजेश वर्मा,उदयराज वर्मा,सूबेदार वर्मा,रामप्रसाद वर्मा,वेदप्रकाश वर्मा,निखिल वर्मा, राममगन निषाद व जैकरन निषाद मुझे दुकान से जाते समय रास्ते में मुझे मारे पीटे गाली दिये। मेरी जेब से उदयराज वर्मा 500/–रूपया निकाल लिए। मेरी मोबाइल की दुकान है। उदयराज मुझे मोबाइल बनाने को दिये थे। उसी को लेकर पैसे के लेन देन को लेकर हमारे बीच विवाद हो गया था। इसी रंजिश में उक्त लोगों ने मेरे साथ मार पीट की। कुछ देर बाद ये लोग मेरे घर भी पहुॅच गये। घर पर तोड़फोड़ किये और गाली देने लगे। घर में घुसकर फिर मुझे मारे। इसप्रकार परिवादपत्र में गांव के बद्री प्रसाद कन्नौजिया के यहॉ दुर्गापूजा के भण्डारे में निमंत्रण पर खाने हेतु जब वह गया था वहां पर पहले से घात लगाकर विपक्षीगण को मौजूद होने व मारना पीटना बताया गया है जबकि अपने बयान धारा–200 में रास्ते में मारना पीटना बताया गया है। इसप्रकार घटना कहॉ घटित हुई इसको लेकर परिवादपत्र व परिवादी के बयान में परस्पर विरोधाभाष है।

परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि पुनः उसके घर में घुसकर मारे पीटे तथा मौके पर बर्तन आदि तोड डाले तथा प्रार्थी के जेब से उदयराज ने मु0–500/– रूपया छीन लिया। जबकि अपने बयान धारा–200 में यह कथन किया है कि मेरी जेब से उदयराज वर्मा 500/–रूपया निकाल लिए। मेरी मोबाइल की दुकान है। उदयराज मुझे मोबाइल बनाने को दिये थे। उसी को लेकर पैसे के लेन देन को लेकर हमारे बीच विवाद हो गया था। इसी रंजिश में उक्त लोगों ने मेरे साथ मार पीट की। कुछ देर बाद ये लोग मेरे घर भी पहुॅच गये। घर पर तोड़फोड़ किये और गाली देने लगे। घर में घुसकर फिर मुझे मारे। इसप्रकार परिवादी द्वारा जहॉ परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि जब पहली बार उसे विपक्षीगण ने मारा पीटा तब उदयराज ने उसकी जेब से पांच सौ रूपये निकाल लिए जबकि अपने बयान धारा–200 में यह कथन किया गया है कि पुनः उसके घर में घुसकर मारे पीटे तथा मौके पर बर्तन आदि तोड डाले तथा प्रार्थी के जेब से उदयराज ने मु0–500/– रूपया छीन लिया। इसप्रकार रूपया पहली बार मारते समय छीना गया या दूसरी बार उसके घर में घुसकर जब मारा पीटा गया तब छीना गया इसको लेकर भी परिवादपत्र व वादी के बयान में परस्पर घोर विरोधाभाष है।

परिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मेरी मोबाइल की दुकान है। उदयराज मुझे मोबाइल बनाने को दिये थे। उसी को लेकर पैसे के लेन देन को लेकर हमारे बीच विवाद हो गया था। इसी रंजिश में उक्त लोगों ने मेरे साथ मार पीट की। इसप्रकार स्वंय वादी के बयान से यह स्पष्ट है कि पक्षकारो में मोबाइल बनाने व रूपयो के लेन देन को लेकर रंजिश है।

धारा–202 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित कराये गये रामजगत ने पी.डब्लू.1 के रूप में अपने बयान में यह कथन किया है कि–''मेरा लडका रवीन्द्र कुमार जो कुर्चा बाजार में मोबाइल की दुकान है। अपनी दुकान बंद करके भण्डारा खाने जा रहा था कि रास्ते में उसे विपक्षीगण भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए मारे पीटे और उदयराज ने उसके लडके के जेब से 500/–रूपये निकाल लिए। मेरा लडका जब घर आया तो उपरोक्त मनबढ लोग मेरे घर पर मारने पीटने के लिए आ गये। मैं और मेरी पत्नी राजदेई जब बचाने का प्रयास किये तो हमको भी घर में घुसकर भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए मारे पीटे।'' इसीप्रकार का बयान साक्षी पी. डब्लू.2 द्वारा भी दिया गया है। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने बयान में विपक्षीगण द्वारा उसे व उसकी पत्नी को भी गालियां व मारना पीटना कहा गया है जबकि स्वंय वादी द्वारा अपने परिवादपत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि विपक्षीगण ने उसके माता पिता को भी मारा पीटा व गालियां दिया हो। अपने बयान में उसके पिता को भी चोटें आने का कथन है किन्तु उसकी माता को मारने पीटने का कोई कथन नहीं है जबकि पी.डब्लू.1 व 2 ने अपने बयान में रामजगत व राजदेई को भी चोट आने का कथन किया गया है। इसप्रकार इस साक्षी के बयान व वादी के बयान व परिवादपत्र के कथनों में परस्पर विरोधाभाष है।

कुल आठ विपक्षीगण द्वारा मिलकर परिवादी को मारना पीटना कहा गया है परन्तु पत्रावली पर कोई भी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आठ लोगों द्वारा मिलकर लाठी डण्डा लात घूसा से मारने से परिवादी को किस प्रकार की चोटें आयी। आठ लोगों द्वारा मारने पीटने के बावजूद भी कोई मेडिकल परीक्षण न कराया जाना घटना के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता संख्या–1 उदयराज ने विपक्षी संख्या–2 रवीन्द्र निषाद तथा राम जगत निषाद,इन्द्रजीत,सतेन्द्र, महेन्द्र, हौसिला, व मनोज के विरूद्ध मु.अ.सं.–101/2019 धारा–147,148,323,324,504 भा.द.सं.दर्ज कराया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि पक्षकारो में पूर्व से रंजिश थी और उसी रंजिश व मुकदमें की पेशबंदी में परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिस पर भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया

विद्वान अवर न्यायालय के आदेश के परिशीलन से विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित करते हुए परिवाद कथानक, परिवादी के बयान धारा–200 द.प्र.सं. व साक्षीगण के बयान धारा–202 द.प्र.सं. का समुचित परिशीलन न करके एवं उसमें आये विरोधाभाषों का परिशीलन न करके सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

इसप्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य परिस्थितियों का सम्यक परिशीलन किए बिना सरसरी तौर

पर प्रश्नगत आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसे में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य एवं निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज जू.डि./न्यायिक मजिस्ट्रेट,अम्बेडकरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 निरस्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय में दिये गये निष्कर्षो के आलोक में पुनः सुनवाई करके विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करे।

विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली वापस प्रेषित की जाये। पत्रावली विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.07.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांकः—19.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0कोड नं0—6067

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांकः—19.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0कोड नं0—6067